भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2063
उत्तर देने की तारीख : 04.07.2019

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

2063. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागू की गई नई और नवोन्मेषी योजनाओं के बारे में कोई आंकड़ा संकलित किया है तथा वे कितनी सफल रहीं और यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाने के लिए क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के आकलन के लिए क्या तंत्र है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): जी हां। सरकार केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी के कल्याण के लिए कार्यान्वित नई और नवाचारी योजना तथा कार्यक्रमों के बारे में आंकड़े संकलित करती है। पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर हुए व्यय और लाभार्थियों के आंकड़े अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं। 2018–19 तक पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पीएमजेवीके और नया सवेरा योजना के अंतर्गत; और 2017–18 तक पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तीन छात्रवृत्ति योजनाओं नामतः मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति का राज्य–वार व्यय और वास्तविक उपलब्धियां भी मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.minorityaffairs.gov.in/schemesperformance. पर उपलब्ध है।

(ख): अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और उनके संबंध के अधिक जागरूकता फैलाने के लिए **16 जुलाई 2018** को नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के प्रधान सचिवों और सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। मंत्रालय द्वारा भी समय–समय पर देशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रिंट और दृश्य–श्रव्य मीडिया दोनों के माध्यम से भी मीडिया अभियान चलाए जाते हैं।

(ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन समय–समय पर विभिन्न तंत्रों के माध्यम से तथा बाहरी एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है ताकि उनकी प्रभावशीलता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। कुछ तंत्र जिनके माध्यम से प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है निम्नानुसार हैं: –

- उपयोग प्रमाण–पत्र/वास्तविक रिपोर्टें
- तीसरे पक्षकार द्वारा किया गया अध्ययन
- जिला/राज्य स्तरीय समिति
- अधिकार प्राप्त समिति
- मंत्रालय और राज्य सरकारों के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट।

******